न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 46/2021

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
रामनारायणसिंह पुत्र गणेशसिंह उर्फ गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर हाल निवासी बीकानेर राजस्थान		1 श्रवणसिंह पुत्र श्री गणेशसिंह उर्फ गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर 2 पुष्पा देवी पत्नि हडमानसिंह 3 परमेश्वरी देवी पुत्री हडमानसिंह 4 लोचनसिंह पुत्र श्री हडमानसिंह 5 करनेलसिंह पुत्र श्री हडमानसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खींवसर हाल निवासी बीकानेर 6 रमा देवी पत्नि जगदीशसिंह 7 सज्जन कंवर पुत्री जगदीशसिंह 8 शेरसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह राजपूत निवासीगण खींवसर हाल निवासी बीकानेर 9 इन्द्रा देवी पत्नि जयसिंह 10 विजयसिंह पुत्र श्री जयसिंह 11 मंजु कंवर पुत्री जयसिंह 12 अंजू कंवर पुत्री जयसिंह 13 देवेन्द्रसिंह पुत्र जयसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खींवसर हाल निवासी बीकानेर 14 ग्राम पंचायत जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर

उपस्थिति–

1. श्री बाबूलाल खोजा तथा श्री वैभव सैनी अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री नरपत राम अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2 से 13 की ओर से।
4. श्री कुंदन सिंह आचीण अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 19.07.2022

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रोल द्वारा मिसल सं. 109/30.08.1984 जिसमे अप्रार्थी सं. 1 श्रवणसिंह के पक्ष में जारी पटटा सं. 105 दिनांक 22.04.1988 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 22.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता ने, अप्रार्थी सं. 2 से 13 की ओर से श्री नरपत राम अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या 14 की ओर श्री कुन्दन सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किये। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 105 दिनांक 22.04.1988 की फोटोप्रति, लिखित बंटवारा की फोटोप्रति, प्लाट के नक्शा की फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 01.02.22 की फोटोप्रति, राशनकार्ड की फोटोप्रति तथा परिचय पत्रो की फोटोप्रतियां पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की वहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–प्रार्थी व अप्रार्थीगण स्व. श्री गणेशसिंह उर्फ गणपतसिंह के विधिक वारीसान व उतराधिकारीगण हैं और वादग्रस्त भूमि में सभी का हक व अधिकार निहित होता है।

2(2)–ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया व विधिविरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के खिलाफ जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है।

2(3)–उक्त सम्पति प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सम्पति होने से सभी पक्षकारों का हक व अधिकार व हिस्सा निहित होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अकेले को अपने नाम पट्टा जारी करवाने का व ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा मौके पर अलग–अलग बंट हो रखा है और 1/5 हिस्सा के हिसाब से सभी अलग–अलग उपायोग व उपभोग कर रहे हैं तथा वादग्रस्त सम्पति में 1/5 हिस्से के हिसाब से

अपर कलक्टर, नागौर

दक्षिणी व पूर्वी कोने की तरफ स्व. श्री जयसिंह के वारिसान का व दक्षिणी व पश्चिमी कोने की तरफ स्व. श्री जगदीशसिंह के वारिसान का व उत्तरी व पूर्वी कोने की तरफ स्व. श्री हडमानसिंह के वारिसान का व जयसिंह के वारिसान के उत्तरी तरफ व हडमानसिंह के वारिसान के दक्षिण तरफ प्रार्थी का बंट व कब्जा रहता चला आया है व उत्तरी व पश्चिमी कोने की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 श्रवणसिंह का बंट व हिस्सा रहता चला आया है तथा प्रार्थी ने अपने निहित 1/5 हिस्से में रहवासी मकान बनाया हुआ है तथा श्रवणसिंह ने 1/5 हिस्से में भी मकान बना हुआ है फिर भी वादग्रस्त सम्पूर्ण सम्पति का अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव से मिलावट कर फर्जी तरीके से पट्टा जारी करवाया गया है जो पट्टा कानूनी रूप से निरस्त होने योग्य है।

2(4)–उक्त सम्पति में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा होना व निगरानीकर्ता व अन्य अप्रार्थीगण का हिस्सा होना व कब्जा होना व स्वामित्व होना अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित में स्वीकार कर रखा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का न तो कब्जा है और नहीं स्वामित्व है फिर भी अपने भाईयों को पुश्तैनी सम्पति से वंचित रखने के इरादे से बिल्कुल ही अवैध व विधिविरूद्व रूप से फर्जी तरीके से अपने अकेले के नाम बिना अधिकार के तहत पट्टा जारी करवाया गया है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा कानूनी रूप से स्वतः ही खारिज होने योग्य है।

2(5)–वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का न तो हक है और न ही अकेले का कब्जा है और न ही कभी था। सभी पक्षकारों का हक व अधिकार रहता चला आया है और सभी पक्षकार अपने–अपने निहित हक व अधिकारों की व बंट व कब्जासुद सम्पति का उपयोग व उपभोग करते आये हैं इसलिए ग्राम पंचायत को सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर आगामी कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन ग्राम पंचात ने अन्य पक्षकारों के बाले–बाले ही विधिविरूद्व तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम पट्टा जारी कर दिया गया जो पट्टा प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वांतों के लिखफ है जिससे पट्टा निरस्त होने योग्य है।

2(6)–निगरानीकर्ता का अपने निहित 1/5 हिस्से की जायगा में रहवासी मकान बना हुआ है जिसका निगरानीकर्ता उपयोग व उपभोग करता आया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने सन् 2020 में उक्त जायगा के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया था तब आपस में समझाईश की, कि आगे उक्त सम्पति को लेकर कोई किसी तरह का वाद विवाद न हो व स्वामित्व व बंट आदि को लेकर आपस में कोई मनमुटाव न हो इसलिए सभी पक्षकारों ने आपसी सहमति से बंटवाडा कर लिखापढी की थी। अब हाल ही में दिनांक 05.11.21 को निगरानीकर्ता अपने बंट व हिस्सा सुद भूखण्ड में कुछ निर्माण करने की तैयारी शुरू की तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मना कर दिया और मौके पर झगडा टंटा करना शुरू कर यि गया और कहा कि इस सम्पूर्ण भूखण्ड का मेरे नाम से पट्टा जारी हो रखा है। आप लोगों को मौके से बाहर निकाल दूंगा व आपके हिस्से व बंट की जायगा का बेचान करूंगा तथा निगरानीकर्ता को उक्त जायगा का पट्टा भी दिखाया गया जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत में जाकर पता किया व नकल की दिनांक 08.11.21 को मांग की जिसकी नकल दिनांक 10.12.21 को मिलने पर पट्टा की सर्वप्रथम जानकारी हुई है पूर्व में निगरानीकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी तत्पश्चात् जानकारी होते ही दिनांक 11–12.12.2021 को राजकीय अवकाश होने से निगरानी अब पेश की।

2(7)–प्रार्थी ने बताया कि वह ग्राम पंचायत खींवसर का निवासी है तथा अपने परिचय पत्र तथा राशन कार्ड की फोटोप्रतिया पेश की। ग्राम पंचायत ने एक भी पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं की, पंचायतीराज नियमों की पालना किये बिना ही पट्टा जारी किया गया तथा पंचायतीराज नियम की धारा 157 के तहत भी पट्टा निरस्त होने योग्य है। क्योंकि इस नियम के तहत 50 साल पुराना कब्जा होना आवश्यक होता है जबकि सम्पूर्ण सम्पति पर अप्रार्थी संख्या 1 अकेले का कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत को अनापति का नोटिस जारी करना आवश्यक होता है। लेकिन ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियम के माफिक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जिससे पंचायतीराज नियम 148 की पालना नहीं हुई तथा पंचायतीराज नियम की पालना किये बिना ही निगरानी निगरानीकर्ता के बाले बाले ही पंचायतीराज नियमों के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

2(8)–पंचायतीराज नियम के अनुसार अगर कोई किसी जायगा का पट्टा जारी किया जाता है तो पट्टा जारी करने से पहले जायगा का मौका निरीक्षण करना व मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक होता है तथा मौका रिपोर्ट के अभाव में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना कोई मौका जांच किये ही जारी किया गया है जिससे पंचायतीराज नियम 146 की पालना नहीं हुई है जिससे भी पट्टा खारिज होने योग्य है और न ही पट्टा जारी करने हेतु फीस जमा करवाई गई। ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज भूमि से अधिक पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है जिससे ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 की पालना नहीं की है तथा अपने कथन के समर्थन मे डीएनजे 2015 (2) पेज 595 से 599, डीएनजे 2015 (1) पेज 443 से 448, आरआरटी 2012 (2) पेज 1265 से 1267, आरआरटी 2009 (1) पेज 609 से 614, आरजेटी 2012 (2) पेज 1544 से 1549 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के पेज सं. 169 से 175 नजीरे पेश की।

अपर कलक्टर, नागौर

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि पट्टा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है तथा उक्त भूमि पुश्तनी भूमि है। प्रार्थी खींवसर में नहीं रहता, बीकानेर में रहता है। अगर प्रार्थी 1/5 हिस्सा बताते है तो बंटवारा करवाते। उक्त पटटे पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा ऋण दिया गया। जिसका वापस भुगतान करके 22.3.2021 को वापस चुकाकर एनओसी प्राप्त की। जिससे पटटा अप्रार्थी का होना बखूबी साबित है। एफ आई आर के आधार पर भी यह सिद्व नही होता है कि उक्त पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे गलत जारी किया गया हो।

4– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मिसल सं. 109/30.08.1984 जिसमे अप्रार्थी सं. 1 श्रवणसिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 105 दिनांक 22.04.1988 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण में 1269 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायत राज नियमावली के नियम 157 (1) (i) के अनुसार 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्र का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व उक्त नियम की पालना करना आज्ञापक है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत खींवसर, पंचायत समिति, खींवसर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा मिसल सं. 109/30.08.1984 जिसमे अप्रार्थी सं. 1 श्रवणसिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 105 दिनांक 22.04.1988 जारी किया गया के संबंध मे उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान मे रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर